

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जांति राजपूत  
निवासी बेडा प्रथम तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/675  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
04 <sup>11</sup> / <sub>25</sub>	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बेडा। स्थित भूमि खसरा नंबर 82 कुल रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी दौयम कुल लगान 2.4000 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के 'रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बेडा। एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तंरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलेक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इज्जदाई  
(ओ. 20 कल 6, 7 जाथा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बारी जिला बाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विशनोई, आर.ए.एस.

<b>वादीगण</b>	<b>बनाम</b>	<b>प्रतिवादी</b>
भोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी बेडा प्रथम तहसील बाली जगैरा		राजस्थान सरकार जस्ये (भूमिदात्री) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 675  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई करवत हमारे समक्ष पेशकार सरकार मिनजानिय मुद्दे व ..... मिनजानिय मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रादली व उपखण्ड रेकर्ड के अध्ययन के परवात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बेडा। स्थित भूमि खसरा नंबर 82 कुल रकबा 0.4800 हेक्टर किस्म बाराणी दायम कुल लगान 24000 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मोक पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। फटवारी हल्का, बेडा। एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजारी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्य का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्या जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिए जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैक रहन इस निर्णय से अग्रनहित रहेगा।

इसका मरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/11/25 को जारी की गई।



3  
(दिनेश विशनोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



1. भोपाल सिंह & मदन सिंह - भोपाल सिंह
2. मुल सिंह & खुम सिंह - मुल सिंह

*[Handwritten Signature]*  
Scale 1:1000

खसरा संख्या : 82 क्षेत्रफल : 0.4800 Hectare खाता संख्या : 617 पुराना खाता संख्या : 611

- भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी दोयम [ 0.4800, 2.40 ]
- 1.) भोपालसिंह चौहान पुत्र मदनसिंह हिस्सा- 361/400 जाति- राजपुत बेड़ा खातेदार
  - 2.) मुलसिंह पुत्र खुमसिंह हिस्सा- 39/400 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

- जवाह
- 1- अमरसिंह & मुलसिंह जी राजपुत
  2. उममेद सिंह & डॉलर सिंह जी राजपुत

*[Handwritten Signature]*  
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील  
*[Handwritten Signature]*  
पाली (भू.अ.)  
मन्तार नण्डल...  
तह. बाली, जिला-पाली

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

*[Handwritten Signature]*  
तहसीलदार (भू.अ.) बाली